

Roll No.

S-411

**B. Ed. (Fourth Semester)
EXAMINATION, 2021-22
GENDER, SCHOOL AND SOCIETY
(SOF/B. Ed/C-112)**

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 70

नोट : (i) खण्ड 'अ' से किन्हीं पाँच प्रश्नों के और खण्ड 'ब' से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Attempt any five questions from Section A and any three questions from Section B.

(ii) खण्ड 'अ' के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों तक सीमित रखें।

Answer each question of Section A within 50 words.

(iii) अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही दीजिये। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।

Limit your answers within the given answer book. Additional answer book (B-Answer book) should not be provided or used.

P. T. O.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

Attempt any five questions. Each question carries 5 marks.

1. लिंग भेदभाव के क्या कारण हैं ?
What are the causes of gender discrimination ?
2. लैंगिक रूढ़ियद्धता क्या है ?
What is gender stereotyping ?
3. लिंग समानता का महत्व बताइए।
Explain the importance of gender equality.
4. शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण कैसे किया जा सकता है ?
How can women empowerment be done through education ?
5. नारीवाद से आप क्या समझते हैं ?
What do you understand by feminism ?
6. सहयोगी समूह का अर्थ बताइए।
Explain the meaning of the Peer-group.
7. लैंगिक रूढ़ियद्धता के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
Describe the field of gender stereotyping.

खण्ड—ब
(Section—B)

नोट : किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।

Attempt any three questions. Each question carries 15 marks.

1/ परिवार, विद्यालय एवं समुदाय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ?

How can families, schools and communities be helpful in promoting gender equality ?

2/ आधुनिक नारीवाद एवं भारतीय संस्कृति पर एक निबन्ध लिखिए।

Write an essay on modern feminism and Indian culture.

3. शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है ?

How can women empowerment be promoted through education ?

4. यौन अत्याचार रोकने के लिए कानून में क्या प्रावधान किये गये हैं ?

What are the provisions in the law to prevent sexual harassment ?

5. स्वतन्त्र भारत में लैंगिक समानता के विकास में ~~कमिशन~~ और समितियों द्वारा दिये गये सुझावों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Briefly describe the suggestions made by various commissions and committees in the development of gender equality in Independent India.

6. लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है ?

What role can the media play in gender equality and empowerment ?